

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं० 05463-235020, फैक्स नं० 05463-235194

वेबसाइट-www.gmcazamgarh.com

संख्या:- /रा०मे०का०आ०/इन्टर्नशिप/2020

दिनांक १० /०४/२०२०

कार्यालय-आदेश

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक संख्या: एम०ई०-३/२०२०/७४४, लखनऊ दिनांक २९, अप्रैल २०२० के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम०बी०बी०एस० अन्तिम व्यवसायिक परीक्षा भाग-२ (रेगुलर) उत्तीर्ण समस्त छात्र/छात्राओं, जिनको अनिवार्य रोटेटररी इन्टर्नशिप प्रशिक्षण कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपने ही जनपद से इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, उक्त समस्त छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से दिनांक ०६, मई २०२० तक इस चिकित्सा महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना अवशेष अनिवार्य रोटेटररी इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में मार्गदर्शन एवं सहयोग की स्थिति में श्री अमय कुमार यादव मोबाइल नं० ६३९३५८०४४० एवं श्री आनन्द राय मोबाइल नं० ८९३१८४१७९० से सम्पर्क स्थापित करें।

प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़

संख्या:- १९१ /रा०मे०का०आ०/इन्टर्नशिप/२०२०

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

०१. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
०२. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
०३. जिलाधिकारी महोदय, जनपद आजमगढ़।
०४. समस्त जिलाधिकारी, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित छात्र/छात्रा का परिचय सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय तक पहुंचने हेतु सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करने अथवा करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
०५. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
०६. एकेडमिक/सहायक एकेडमिक इन्चार्ज, रा०मे०का० आजमगढ़।
०७. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप अपने-अपने विभाग में इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों के छात्र/छात्राओं जो इस चिकित्सा महाविद्यालय में अनिवार्य रोटेटररी इन्टर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं, को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त समस्त छात्र/छात्रा अपने मूल कालेज में दिनांक ०६, मई, २०२० तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें।
०८. डा० अंकित श्रीवास्तव, नोडल, आई०टी० सेल को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को अतिशिघ्र कालेज की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
०९. सम्बन्धित अधिष्ठान,

प्रधानाचार्य

राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़